/

संख्या–1235 /9–1–2018–2मेला/2018टी.सी.

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मेला अधिकारी,
कुम्भ मेला, इलाहाबाद।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊ: दिनांक : 15 मई, 2018

विषयः– कुम्भ मेला, इलाहाबाद 2019 के लिए अस्थाई पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2331/पन्द्रह–कु0मे0 2019(2017–18), दिनांक 17.03.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुम्भ मेला, इलाहाबाद 2018–19 की सुव्यवस्थित तैयारी एवं संचालन के लिए तालिका के कमांक–1 से 10 पर उल्लिखित कार्मिको (कुल 79 पद) का सम्मुख स्तम्भ–4 अनुसार स्तम्भ–5 में अंकित वेतनमान में अस्थाई पद सृजन करने हेतु दिनांक 28 फरवरी, 2019 तक अथवा कुम्भ मेला की समाप्ति (इनमें से जो पहले हो) तक के लिए, यदि इसके पूर्व यह पद बिना सूचना के समाप्त न कर दिये जाय, की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

| क0 सं0 | पदनाम | पद की संख्या | सृजन हेतु प्रस्तावित तिथि | संवर्ग/वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | अपर मेलाधिकारी | 1 | 01.04.2018 | पी0सी0एस0संवर्ग के वेतनमान में |
| 2. | अपर मेलाधिकारी | 2 | 01.07.2018 | पी0सी0एस0संवर्ग के वेतनमान में |
| 3. | वित्त नियंत्रक | 1 | 01.04.2018 | वित्त सेवा के वेतनमान में |
| 4. | उप मेलाधिकारी | 3 | 01.04.2018 | पी0सी0एस0संवर्ग के वेतनमान में |
| 5. | डिप्टी कलेक्टर (सेक्टर मजिस्ट्रेट हेतु) | 20 | 01.10.2018 | पी0सी0एस0संवर्ग के वेतनमान में |
| 6. | प्रबन्धक | 2 | 01.04.2018 | 56100–177500 (L-10) |
| 7. | सहायक प्रबन्धक | 20 | 01.10.2018 | 35400–112400 (L-6) |
| 8. | लेखपाल/पर्यवेक्षक | 20 | 01.09.2018 | 19900–63200 (L-2) |
| 9. | वरिष्ठ सहायक | 5 | 01.04.2018 | 21700–69100 (L-3) |
| 10. | कनिष्ठ सहायक | 5 | 01.04.2018 | 21700–69100 (L-3) |
| | योग– | 79 | | |

2. उपरोक्त सृजित पदों पर कोई नई नियुक्तियाँ नहीं की जायेगी, बल्कि सृजित पदों को सेवा स्थानान्तरण के आधार पर भरा जायेगा एवं इनकी सेवा शर्ते पूर्व की भाँति ही रहेगी।

3. तालिका के कमांक–1 से 10 पर उल्लिखित पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते अनुमन्यता के आधार पर देय होगें।

4. यदि प्रश्नगत पदों में से किसी पद पर कलेक्ट्रेट अधिष्ठान, इलाहाबाद के कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है, जो उन्हें कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा, क्योंकि प्रतिनियुक्ति भत्ता वाहय सेवा नियुक्त होने पर ही अनुमन्य है। कलेक्ट्रेट के ऐसे कर्मचारी मेला अधिष्ठान में स्थानान्तरित माने जायेंगे। मेला अधिष्ठान में नियुक्त ऐसे कर्मचारियों को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 के भाग–2 से 4 के मूल मेला अधिष्ठान में नियुक्त ऐसे कर्मचारियों को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 के भाग–2 से 4 के मूल नियम–19 के साथ पठित मूल नियम–9 के 25 के अधीन

AKGO

स्थाई तथा अस्थाई कर्मचारियों को मेला अधिष्ठान में नियुक्त से पूर्व कलेक्ट्रेट में मिल रहे मूल वेतन अनुमन्य होगा।

5. उपरोक्त पदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–37 के पूँजीलेखा के लेखाशीर्षक 4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय–800–अन्य व्यय–06–कुम्भ मेला 2019, इलाहाबाद–24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–ई–8–1610/दस–2018, दिनांक 11 मई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

Manoj 15.5.18

( मनोज कुमार सिंह )
प्रमुख सचिव।

संख्या–1235 (1)/9–1–2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
3. जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
4. कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6. नियुक्ति अनुभाग–1/2/3
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–8/ वित्त (आय व्ययक) अनुभाग–1/2
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–8
9. कम्प्यूटर सेल को नगर विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( बृजेन्द्र सिंह )
अनु सचिव।

AKGO